कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0ब0 –20/2017–248 **दिनांक : 21.02.2018**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/पाकुड वन प्रमंडल, पाकुड़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत फलदार पौधों का वृक्षारोपण एवं काष्ट प्रजाति का वृक्षारोपण का घेरान कार्य के साथ (ट्रेंच/झाड़ी) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) हेतु **14.959 (चौदह लाख पन्चानबे हजार नौ सौ) रू0** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–48/2016–37/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.11.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0 बजट–48/2016–81/आ0 व0प0 दिनांक 12.12.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष– 55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल **रू0 14.959 (चौदह लाख पन्चानबे हजार नौ सौ) रू0 मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	19S240601102550103	6.046
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102550323	8.913
कुल योग :–			**14.959**

2. इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य में वन अच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ–साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव कम करने के लिए "मुख्यमंत्री जन वन योजना" नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों

के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को उनके द्वारा स्वेच्छा से विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रजातियों का अपनी निजी भूमि पर (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रेखिक वनरोपण) वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जाएगा। प्रोत्साहन–स्वरुप वृक्षारोपण एवं उसके रख–रखाव पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सम्यक जाँचोंपरान्त द्वारा माह दिसम्बर में उसका सत्यापन करके जनवरी माह में उत्तरजीविता के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रत्येक जिला के उत्तरजीविता का सत्यापन के अनुरुप राशि निकासी कर लाभुकों के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।

4. यदि प्रथम से द्वितीय वर्ष की किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरेक राशि का भुगतान हो गया होगा तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।

5. प्रमंडलवार उप–आवंटित की जा रही राशि का वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक–1** पर तथा कार्य दर **अनुलग्न–2(क), 2(ख) एवं 2(ग)** पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुसार लाभुकों को 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। ऑन लाईन उप–आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर संलग्न है।

6. वर्त्तमान में योजना के Website पर upload किये गये राशि में वृद्धि कर उप–आवंटन निर्गत किया जा रहा है, ताकि लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान में विलम्ब न हों। शेष भुगतान हेतु राशि का उप–आवंटन योजना के Website पर upload करने के पश्चात तथा पत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र–4** के रुप में मांग प्रतिवेदन के पश्चात ही उप–आवंटन निर्गत किया जाएगा।

7. **राशि की निकासी योजना के Website पर upload करने के पश्चात हीं की जाएगी तथा इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र–3 में सप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराना, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।**

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया

जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थितं कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा। लाभुकों का Pay -id बनाकर कोषागार में समर्पित किया जाएगा, ताकि लाभुकों को प्रात्साहन राशि का भुगतान सीधे कोषागार से उनके खाता में हो सके।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में लाभुकों को जन वन योजना की निर्देशिका में निर्धारित देय प्रतिपूर्ति राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभुकों के बैंक खाते/डाक घर खाते में ही किया जाएगा।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

19. जिन प्रमंडलों को पूर्व में राशि उप–आवंटित गयी है, उनके लिए यह अतिरिक्त राशि होगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सिमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204, दिनांक–20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–20/2017– 248** दिनांक– **21.02.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग एवं पलामू/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/बोकारो/राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, दुमका/बोकारो /गिरिडीह/गुमला एवं इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–20/2017– 248** दिनांक– **21.02.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/कोडरमा /डोरण्डा, राँची/ गोड्डा/पाकुड/धनबाद/लोहरदगा/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनु0–1

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जानेवाली मुख्यमंत्री जन वन योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत निजी भूमि पर काष्ठ एवं फलदार प्रजाति के पौधों (काष्ठ प्रजाति 445 एवं फलदार प्रजाति 160 पौधा प्रति एकड़ ट्रेंच घेरान के साथ) का वृक्षारोपण हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / वन प्रमण्डल पदाधिकारी का नाम	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख में)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	**कुल**
i	ii	iii	iv	v
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	1.092	1.531	**2.623**
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	0.328	0.459	**0.787**
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	0.478	0.685	**1.163**
4	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	2.673	4.110	**6.783**
5	पाकुड वन प्रमण्डल, पाकुड	0.395	0.540	**0.935**
6	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	0.218	0.306	**0.524**
7	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	0.260	0.379	**0.639**
8	गिरीडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	0.602	0.903	**1.505**
कुल योग :–		**6.046**	**8.913**	**14.959**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2017-18\Development\Sub-Allotment 2017-18\OA\Jan Van Yojna\Jan Van Yojna Work Program

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 160 पौधे (फलदार/ कलमी पौधे)

स्पेसिंग 5 मी. X 5 मी. प्रजातियाँ:– कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची आदि

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2017–18 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 229.90 रू0 प्रति मानव दिवस							
1	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना @160 पौधे प्रति एकड़	एकड़	26.00	5977.40	0.00	5977.40	18.68	
2	पौधों का क्रय @60 रू0 प्रति पौधा (परिवहन सहित) @160 पौधे प्रति एकड .(5% अतिरिक्त पौधे का क्रय किया जाएगा)	एकड़	0.00	0.00	9600.00	9600.00	30.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 30.00 रू0 प्रति पौधा या वास्तविक दर जो कम हो की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	24	5517.60	0.00	5517.60	17.24	
4	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	4.00	919.60	0.00	919.60	2.87	
5	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	5.00	
	योग		**54.00**	**12414.60**	**11200.00**	**23614.60**	**73.80**	
ख	**वित्तीय वर्ष 2018–19 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 264.39 (वृद्धि 15 प्रतिशत)**							
1	दो कोड़नी–निकौनी	एकड़	4.00	1057.56	0.00	1057.56	3.30	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	2.50	
3	पानी पटवन		0.00	0.00	1600.00	1600.00	5.00	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		**4.00**	**1057.56**	**2400.00**	**3457.56**	**10.80**	

D:\2017-18\Development\Sub-Allotment 2017-18\OA\Jan Van Yojna\Jan Van Rate

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
ग	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 304.04 (वृद्धि 15 प्रतिशत)**							
1	दो कोड़नी–निकौनी	एकड़	4.00	1216.16	0.00	1216.16	3.80	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	2.50	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	5.00	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.0	2280.30	0.00	2280.30	7.13	
	योग		**7.0**	**3496.46**	**2400.00**	**5896.46**	**18.43**	
	सकल योग		**65.0**	**16968.62**	**16000.00**	**32968.62**	**103.03**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. एवं मेड के किनारे 2 मी0 X 2 मी0

प्रजातियाँ–शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी,क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	**वित्तीय वर्ष 2017–18 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 229.90 रू0 प्रति मानव दिवस**							
1	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू0 मी0 445 पीट प्रति एकड़ (संरेखन सहित)	एकड़	10.00	2299.00	0.00	2299.00	2.58	
2	पौधों का क्रय @20 रू0 प्रति पौधा (परिवहन सहित)	एकड़	0.00	0.00	8900.00	8900.00	10.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 10.00 रू0 प्रति पौधा की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	10.00	2299.00	0.00	2299.00	2.58	
4	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	11.00	2528.90	0.00	2528.90	2.84	
5	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, कीटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	700.00	700.00	0.79	
	योग		**31.00**	**7126.90**	**9600.00**	**16726.90**	**18.79**	
ख	**वित्तीय वर्ष 2018–19 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 264.39 (वृद्धि 15 प्रतिशत)**							
1	एक कोड़नी–निकौनी	एकड़	6.00	1586.34	0.00	1586.34	1.78	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.39	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	5.00	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		**6.00**	**1586.34**	**4800.45**	**6386.79**	**7.18**	
ग	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 304.04 (वृद्धि 15 प्रतिशत)**							
1	एक कोड़नी–निकौनी	एकड़	6.00	1824.24	0.00	1824.24	2.05	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.39	

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	5.00	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी।
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.00	2280.30	0.00	2280.30	2.56	
	योग		**9.00**	**4104.54**	**4800.45**	**8904.99**	**10.01**	
	सकल योग		**46.00**	**12817.78**	**19200.90**	**32018.68**	**35.98**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़	445 पौधो (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण) 160 पौधे (फलदार प्रजातियों का वनरोपण)
मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में)	229.90 प्रति मानव दिवस
फलदार प्राजाति हेतु स्पेसिंग 5मी0 x 5मी0	फलदार प्रजातियाँ– कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची, आदि
काष्ठ प्राजाति हेतु स्पेसिंग 3मी0 x 3मी0 एवं मेड के किनारे 2 मी0 x 2 मी0	काष्ठ प्रजातियाँ– शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 मे)	सामग्री (रू0 मे)	कुल व्यय (रू0 मे)	लाभुकों को प्रति पौधा देय राशि	
							काष्ट प्रजाति	फलदार प्रजाति
1	2	3	4	6	5	7		9
क	**वित्तीय वर्ष 2017–18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)**							
1	मशीन द्वारा ट्रैंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन	2.5 चेन प्रति एकड़	5.00	1149.50	4909.48	6058.98	6.81	18.93
2	झाड़ी घेरान (2.5 X 6 मानव दिवस) (प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन)	2.5 चेन प्रति एकड़	15.00	3448.50	62.50	3511.00	3.94	10.97
	कुल :–		**20.00**	**4598.00**	**4971.98**	**9569.98**	**10.75**	**29.91**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

प्रपत्र–4

मुख्यमंत्री जन वन योजना का सप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन।

वन प्रमंडल का नाम :–

क्र0 सं0	लाभुकों की संख्या	रोपित पौधों की रकबा (एकड़ में)			रोपित पौधों की संख्या			लाभुकों को देय प्रोत्साहन राशि			किए गये घेरान कार्य अधिकतम @ 2.5 चेन प्रति एकड़		घेरान कार्य का देय प्रोत्साहन राशि	कुल भुगतान की गयी राशि
		काष्ट प्रजाति	फलदार प्रजाति	कुल	काष्ट प्रजाति	फलदार प्रजाति	कुल	काष्ट प्रजाति	फलदार प्रजाति	कुल	ट्रेंच/ झाडी घेरान कार्य	घेरान की लम्बाई चेन में		
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv

प्रपत्र के अनुसार इकाईवार उप–आवंटन हेतु मांग की जा रही राशि

प्राथमिक इकाई	राशि (लाख में)
मजदूरी	....
आपूर्ति एवं सामग्री	....
कुल	....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर वर्णित लाभुकों का दावा मुख्य मंत्री जन वन योजना के Website पर upload किया गया है।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-20/2017/248 दिनांक - 21-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98365	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	109,200.00 रुपये एक लाख नौ हजार दो सौ
2	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98366	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	32,800.00 रुपये बत्तीस हजार आठ सौ
3	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98368	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	47,800.00 रुपये सैतालीस हजार आठ सौ

योग: 189,800.00

क्रमिक योग: रुपये एक लाख नवासी हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH

BAPHAWAN(IFS)

ADDI.PCCF/DEV.JHARKHAND

RANCHI

122.252.250.38

Run Date: 21/2/2018

पत्र संख्या - 01/YB-20/2017/248 दिनांक - 21-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98369	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	267,300.00 रुपये दो लाख सड़सठ हजार तीन सौ
5	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98373	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	39,500.00 रुपये उनचालीस हजार पाँच सौ
6	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98374	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	21,800.00 रुपये इक्कीस हजार आठ सौ

योग: 328,600.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच लाख अठारह हजार चार सौ 518,400.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF(DEV)JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-20/2017/248 दिनांक - 21-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98375	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	26,000.00 रुपये छब्बीस हजार
8	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98377	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	60,200.00 रुपये साहठ हजार दो सौ
9	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98381	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	153,100.00 रुपये एक लाख तीरपन हजार एक सौ

योग: 239,300.00

क्रमिक योग: रुपये सात लाख सत्तावन हजार सात सौ 757,700.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF(DEV.)JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 21/2/2018

पत्र संख्या - 01/YB-20/2017/248 दिनांक - 21-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98383	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	45,900.00 रुपये पैतालीस हजार नौ सौ
11	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98385	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	68,500.00 रुपये अडसठ हजार पाँच सौ
12	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98386	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	411,000.00 रुपये चार लाख ग्यारह हजार

योग: 525,400.00

क्रमिक योग: रुपये बारह लाख तिरयासी हजार एक सौ 1,283,100.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF(DEV.)JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 21/2/2018

पत्र संख्या - 01/YB-20/2017/248

दिनांक - 21-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98387	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	54,000.00 रुपये चौपन हजार
14	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98389	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	30,600.00 रुपये तीस हजार छः सौ
15	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Centeral Scheme : NA	98390	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	37,900.00 रुपये सैतीस हजार नौ सौ

योग: 122,500.00

क्रमिक योग: रुपये चौदह लाख पाँच हजार छः सौ 1,405,600.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF/DEV/JHARKHAND BAPHAWAN,IFS)

RANCHI

Run Date: 21/2/2018

पत्र संख्या - 01/YB-20/2017/248

दिनांक - 21-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	98392	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	90,300.00 रुपये नब्बे हजार तीन सौ

State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275)

Centeral Scheme : NA

योग: 90,300.00

क्रमिक योग: रुपये चौदह लाख पिनचानवे हजार नौ सौ 1,495,900.00

(SHRI SATNAM SINGH BAPHAWAN(IFS))

ADDI.PCCF(DEV) JHARKHAND

RANCHI

122.252.250.38

Run Date: 21/2/2018